

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.मे.)अवकाश / 1408 /2021


दिनांक :30.06.2021

श्री प्रशान्त पूनियां (RJ1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियाग (टोंक) को दिनांक 04.06.2021 से 11.06.2021 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 12.06.2021 से 13.06.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री पूनियां की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियाग (टोंक) नेडनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश में लौटने पर उनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियाग (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 30.06.2021

क्रमांक :- स्था.वी.र(4)/94/2016/ 4129

दिनांक :30.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शामन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 4366 दिनांक 16.06.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्री प्रशान्त पूनियां (RJ1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियाग (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियाग (टोंक)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियाग (टोंक)।

  
सहायक रजिस्ट्रार